न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/08/2018

अपीलार्थी — बनाम — प्रत्यर्थी

किशोर चन्द मीना
निवासी–9/743, लोधी कॉलोनी,
नई दिल्ली–110003

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 17.01.2018

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.01.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 28.11.17 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला– अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 03 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
5. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 28.11.17 के बिन्दु सं.2 व 3 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/50–51 दिनांकः 17.01.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 25.01.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर पत्रांकः आर.टी.आई./ 2018/5940 दिनांकः 23.01.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि "प्रा.पत्र के बिन्दु सं. 2 के परिप्रेक्ष्य में विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ से प्राप्त रिपोर्ट फोटोप्रति के रूप में उंपलब्ध है तथा बिन्दु सं. 3 में अंकित पत्र दि0 27.01.2005 को जारी नहीं होकर 27.07.1985 को जारी हुआ है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पूर्व में उक्त दिनांकः 27.07.1985 के स्थान पर सहवन से दिनांकः 27.01.2005 अंकित कर दी गई थी।"
8.. हमने प्राप्त अपीलोत्तर दि0 23.01.18 एवं आवेदक द्वारा वांछित सूचना संबंधी प्रा.पत्र दि0 28.11.17 का अवलोकन/परीक्षण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिन्दु सं. 2 के परिप्रेक्ष्य में सूचना आवेदक को इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई है कि संबंधित रिपोर्ट फोटोप्रति के रूप में उपलब्ध है एवं बिन्दु सं. 3 में अंकित आदेश दि0 27.01.2005 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उक्त आदेश दि0 27.01.05 को जारी नहीं होकर दि0 27.07.1985 को जारी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

Contact: 0144-2337565(O),2336101(F) e--mail: dm-alw-rj@nic.in
स्वच्छ अलवर–स्वस्थ अलवर

9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सूचना को साधारणतया उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांकः 10.07.2008 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) की व्याख्या की है कि "यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान {सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9)} का मतलब सिर्फ इतना भर है कि ***यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छायाप्रति के रूप में मुहैया कराई जाए*** और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।'

10. उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रा.पत्र दि0 28.11.17 के बिन्दु सं. 2 के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों की फोटोप्रति की फोटोप्रति एवं बिन्दु सं. 3 के क्रम में जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांकः 27.01.2005 को जारी नहीं होकर यदि दिनांकः 27.07.1985 को जारी हैं और प्रत्यर्थी के कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं तो तद्नुसार उक्त आदेश की फोटोप्रति की फोटोप्रति नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11. अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपील का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR ... ALWAR (RAJ.)

Contact: 0144-2337565(O),2336101(F) e-mail: dm-alw-rj@nic.in
स्वच्छ अलवर–स्वस्थ अलवर

(2)